राजस्व वाद 137/2019
नत्थूराम वगैरह बनाम नारायणदास

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 137/2019

वादीगण–
1. नत्थूराम पुत्र नारायणदास
2. रेवन्तराम पुत्र नारायणदास, जतियान–साद निवासीगण–टालनियाउ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. नारायणदास पुत्र शिवजीदास, जतियान–साद,निवासीगण–टालनियाउ,तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–
1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 नारायणदास की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा टालनियाउ के खेत खसरा नंबर 201,221 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3387 दिनांक 25.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है जो कि निर्णय का ही एक भाग है।

1. वादी संख्या 1 नत्थूराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा टालनियाउ के खेत खसरा नंबर 201 में से 0.8094 पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 221 रकबा 48 बीघा में से 2.0801 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 रेवन्तराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा टालनियाउ के खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 221 रकबा 48 बीघा में से 18 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 नारायणदास के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा टालनियाउ के खेत खसरा नंबर 201 रकबा 5.17 बीघा में से 0.17 बीघा नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 221 रकबा 48 बीघा में से 17.03 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

28/9/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner